## भारत डायनामिक्स लिमिटेड BHARAT DYNAMICS LIMITED निगम कार्यालय CORPORATE OFFICE

हैदराबाद Hyderabad

संदर्भ : बीडीएल BDL/0167/31/जाँच बिंदु Check Points

दिनांक Dt. 28.07.2023

## विषय Sub: जाँच बिंदु पुन: जारी करना। Re-issue of Check Points.

उद्यम में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी नियम / आदेश का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए जाँच बिंदु लागू करने के संबंध में भारत सरकार के संयुक्त सचिव (पी अण्ड एस), रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. र.मं.अ.वि.सं. 3 (2)/2014-रक्षा (राजभाषा-2), दि. 30 अप्रैल, 2014 के अनुसार निम्न जाँच बिंदु उद्यम में प्रभावी हैं। इनका अनुपालन सुनिश्चित करने इन्हें पुन: जारी किया जाता है:

With reference to the letter of MoD I.D.No.3 (2)@2014-Def. (OL-2) dt. 30 April, 2014 received from Joint Secretary (P&C), MoD, Govt. Of India, following Check Points are in vogue in the Organization to ensure the effective implementation of OL Rules / Directives of Official Language. The Check Points are reissued for its compliance :

क्र.सं. Sl. No.	विषय / कार्य Subject / Work	जाँच बिंदु तथा अनुपालनकर्ता विभाग / संबंधित अधिकारी Check points & its Depts. / Officer concerned
1	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना	जारीकर्ता अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि राजभाष अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सर्भ
		दस्तावेज जैसे – सभी तरह के आदेश, संविदाएँ प्रशासनिक व प्रतिवेदन, करार, लाइसेंस, परिमट, टेंड
		सूचना, टेंडर प्रोफार्मा, नोटिस, संकल्प
		प्रेस विज्ञप्तियाँ, नियम, अधिसूचनाएँ और संसद
		किसी सदन / दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने बा
		दस्तावेज, तारांकित / गैर तारांकित प्रश्न, अनुबं
		ज्ञापन प्रलेख और वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि अनिवार्य रू से हिंदी और अंग्रेज़ी में जारी हों।
	Documents under Section 3 (3) of OL Act 1963, are to be issued in bilingual form	In compliance to the Section 3 (3) of OL Act 1963 all Divisional / HR Heads / issuin authorities shall ensure to issue document such as all types of Orders, Contract Administrative & other reports, Agreement Licenses, Permits, Tender Notices, Tender Forms, Notices, Press Communiqués, Rule Notifications & Documents to be laid beforthe table of Parliament (Upper / Lower / bot the houses), Starred / Un starred question MoU, Annual Reports etc. Mandatorily i Hindi & English.
2	फार्म्स, प्रारूप, कोड, मैनुअलों और गजट की	सभी प्रभागाध्यक्ष / संबंधित विभाग / अधिकारी फाम्स
	सामग्री, अन्य का द्विभाषी रूप में प्रकाशन	कोड, मैनुअलों और गजट की सामग्री का प्रकाशन हिंव और अंग्रेज़ी में तैयार करवाना सुनिश्चित करें।
	The Publication of Forms, Formats, Codes, Manuals & Gazette material, any other publication to be in Bilingual form	All Divisional Heads / Departments / Officer concerned shall ensure the preparation publication of Forms, Formats (Soft/Har form) Codes, Manuals & Gazette, other publications in Hindi & English.
3	कंप्यूटरों का द्विभाषीकरण	आई टी डी प्रभागाध्यक्ष / संबंधित अधिकारी य सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी में प्रयोग होने वाले सभ कंप्यूटरों में हिंदी और अंग्रेज़ी में काम करने की सुविध हो और सभी में यूनिकोड सुविधा सक्रिय रूप से हमेश मौजूद रहे।
	Bilingual facility on Computers	ITD Head / Officer concerned to ensure that all the Computers used in the Companishould have facility to work in Hindi an English. It will also be ensured that all the computers will have Unicode facility enable all the time.

4	लिफाफों पर हिंदी में पते लिखना	सभी अधिकारी और कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे 'क' क्षेत्र में स्थित दिल्ली, यू.पी., एम.पी,
		हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल,
		बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं अण्डमान निकोबार
		द्वीप आदि तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित – महाराष्ट्र, गुजरात,
		पंजाब, चण्डीगढ़, गोवा, दमन दीव राज्यों के अंतर्गत
		आने वाले केंद्रीय सरकार, बैंक, उपक्रम आदि कार्यालयों
		के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्यतः लिफाफों पर
	To write addresses in Hindi on the	पते हिंदी में लिखें। All the Officers and Employees concerned to
	envelopes	ensure that communication made with
,		Central Govt. Offices, Banks, Undertakings etc. situated at Region 'A' i.e., Delhi, UP, MP,
		Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh,
		Uttaranchal, Bihar, Jharkhand, Chattisgarh and Andaman Nikobar Islands and Offices
		situated at region 'B' i.e., Maharashtra,
		Gujarat, Punjab, Chandighar, Goa, Daman
		Dieu states will have addresses in Hindi on their envelopes.
5	रबड़ की मुहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट, सभी	सभी विभागों के प्रमुख / अधिकारी / मानव संसाधन
	बैनर्स, पदधारित बोर्ड, वाहनों पर विवरण	अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपने-अपने प्रभाग /
	आदि द्विभाषी रूप में बनाना	विभागों में सभी रबड़ की मुहरें, नामपट्ट, सूचनापट्ट, पदधारित बोर्ड, गाड़ियों पर विवरण, सभी प्रकार के
		बैनर आदि अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेज़ी में तैयार
		कर प्रयोग की जाती हों।
	Rubber Stamps, Name Plates, Notice Boards, all banners, Functionaries	All HoDs/Officers / HR Officers will ensure that all the Rubber Stamps, Name Plates,
	Boards, description on vehicles etc. to	Notice Boards, functionaries boards,
	be made in bilingual form	description on Vehicles & all banners are
		made in bilingual form for use in their respective divisions / departments
		invariably.
6	(i) सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ।	निगम एवं प्रभागीय मानव संसाधन विभाग द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों के लिए वार्षिक
	(ii) आवक-जावक व अन्य रजिस्टरों पर	कार्यनिष्पादन फार्मेट (ए सी आर) / पी एम एस
	विषय, विवरण, व प्रविष्टियाँ हिंदी में भी	(ऑनलाइन / ऑफलाइन) द्विभाषी रूप में ही उपलब्ध
		कराये जाएँगे। इन्हें भरने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित
		करेंगे कि प्रविष्टियाँ हिंदी में भी दर्ज की जाएँ।
		सभी प्रभाग / विभाग / अनुभागों में कार्यरत संबंधित
		कार्मिक आवक-जावक (Inward-Outward) व अन्य
		रजिस्टरों में विषय, अन्य विवरण आदि प्रविष्टियाँ अनिवार्यत: हिंदी में भी करेंगे।
	(i) Entries in Service Books	Corporate & Divisional HR Departments will
		ensure to issue Annual Performance Formats
		(ACR) / PMS related to Executives and Non- executives of the Company in bilingual form
		(Online / Offline). The Officer concerned
		giving rating will ensure to write entries in Hindi also.
	(ii) Headings, sub-headings and other entries in Inward-Outward Registers	Employees concerned of all the Divisions / Departments / Sections will ensure to write
	in Hindi also	Headings, Sub-headings, entries in Inward-
7	6.4 4, 444 4.5 5	Outward registers in Hindi also.
7	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना	सभी प्रभागाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक प्रमुख सुनिश्चित
		करेंगे कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए
		जाएँ। हिंदी में प्राप्त पत्रों का अंग्रेजी में उत्तर देना
		उल्लंघन माना जाता है।

	Reply in Hindi for letters received in Hindi	All Divisional / Departmental Heads / P&A Officers will ensure that the reply of letters received in Hindi will be given in Hindi alone. Reply in English to letters received in Hindi is considered as violation.
8	लेखन सामग्री की छपाई	सामग्री प्रबंधन / निगम वाणिज्यिक / विभागीय प्रमुखों के वैयक्तिक सहायक एवं वैयक्तिक सचिव यह सुनिश्चित करें कि कंपनी में प्रयुक्त की जाने वाली लेखन-सामग्री द्विभाषी हो।
	Printing of Stationary items	I M M / Corporate Commercial / PAs & PSs of HoDs / Department to ensure that the stationery used in the Office should be prepared / published / printed in bilingual form.
9	हिंदी में प्रवीणता प्राप्त तथा प्रशिक्षित अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाओं का सदुपयोग किया जाना Utilizing services of Officers & Employees proficient in Hindi & trained in Hindi	सभी प्रभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और मानव संसाधन प्रमुख अपने अधीनस्थ हिंदी में प्रवीण / प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करते हुए दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाएँ। All Divisional, Departmental, HR Heads to encourage and ensure that Officers & Employees proficient / trained in Hindi use
10	कार्यालय की वेबसाइट द्विभाषी बनाना	Hindi in day-to-day work in their respective departments. आई टी डी प्रमुख / संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय की वेबसाइट हिंदी-अंग्रेज़ी में तैयार की गई है तथा इसके लिंक / उप लिंक तथा इनमें संलग्न
	Website of the Organization should be in bilingual form	जानकारी का समय-समय पर द्विभाषी रूप में अद्यतन किया जाता है। Head, ITD / Officer concerned to ensure that the website of the Company is prepared in bilingual form and updated bilingually from time to time including all links / sub-links and information attached to it.
11	सामान्य जिम्मेदारी	राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनायी गई नियमावली के अनुसार जो पत्र, परिपत्र, आदेश, सूचनाएँ आदि हिंदी अथवा हिंदी-अंग्रेज़ी दोनों में तैयार किए जाने हों, वे उसी रूप में जारी होते हैं, यह देखने की जिम्मेदारी ऐसे पत्र अथवा प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी। अत: हस्ताक्षर करने से पूर्व अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे पत्र/प्रलेख आदि हिंदी में या द्विभाषी रूप में ही जारी किए जा रहे हैं।
	General responsibility	Letters, Circulars, Orders, Notices etc. are required to be issued in Hindi & English invariably according to OL Act & Rules thereon. The officer signing such document is required to ensure that the document is prepared in Hindi & English and issued accordingly.

सभी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी इनमें से संबंधित / लागू होने वाली मदों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। All executives and non-executives concerned are directed to ensure the compliance of the items relevant to them.

> कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.) Cmde A MADHAVARAO (Retd.)

सी एम डी एवं अध्यक्ष, रा भा का स CMD & Chairman, OLIC

प्रति Copy to :

सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी All Officers and Employees concerned